विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र (जीपीएच परिसर), पोलोग्राउण्ड इन्दौर–452003

आदेश क्रमांक 241 विउशिनिफो / इंदौर / 22

प्रकरण क्रमांक **w0521622**

विषय: - बिना कनेक्शन के बिल देने बाबत।

मेसर्स रेनिट इण्डस्ट्रीज प्रा.लि., डी–37, सेक्टर–3, पीथमपुर, जिला–धार

विरुद्ध

कार्यपालन यंत्री (संचा / संधा) संभाग, मप्रपक्षेविविकंलि. पीथमपुर

---उत्तरदाता

——–परिवादी

<u>आदेश</u> (आज दिनांक 22.09.2022 को पारित किया गया)

परिवादी की ओर से श्री खेमपालसिंह उपस्थित। विपक्ष मप्रपक्षेविविकंलिमि. की ओर से श्री रत्नेश सिंह, सहायक यंत्री उपस्थित।

परिवादी का कथन :-

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में लेख किया गया कि उनका बिना कनेक्शन का बिल है। परिसर पर मीटर नहीं होने के बाद भी बिल दिया जा रहा है।

परिवादी द्वारा सहमित पत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया कि मेरी कम्पनी रेनित इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. सेक्टर पीथमपुर धार का 3 किलोवॉट विद्युत कनेक्शन दिनांक 02.10.2021 से दिनांक 31.12.2022 के हेतु खपत पर जारी किये गये बिल की राशि रू. 4788/— (4583+200 RCDC) वादी स्वीकार करता है व अपनी सुरक्षानिधि में से काटकर शेष रकम प्राप्त करने के लिए आवेदन देता है जिस पर राशि को रिफण्ड किया जाकर आवेदक को त्वरित नया कनेक्शन लेने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

विपक्ष का कथन :-

विपक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे में लेख किया गया कि :-

- 01. परिवादी द्वारा दिनांक 02.10.2021 को निम्नादाब कनेक्शन लिया गया था।
- 02. 3 किलोवॉट निम्नदाब अस्थाई विद्युत कनेक्शन के लिए परिवादी के परिसर पर मीटर क्रमांक 349065 मीटर मेक—एच.पी.एल. स्टार्ट रीड—6433 के.डब्ल्यू.एच. पर जारी किया गया था।

- 03. परिवादी का उक्त मीटर पोल पर लगाकर मीटर चालू कर दिया गया था परन्तु परिवादी का उपयोग न होने के कारण एवं विद्युत बिल का भुगतान नहीं किये जाने के कारण अंतिम रीड 6433 के.डब्ल्यू.एच. पर दिनांक 31.12.2022 को विच्छेदित कर दिया गया था। अतः परिवादी को दिनांक 02.10.2021 से 31.12.2022 तक लोड के आधार पर सिस्टम द्वारा मिनिमम खपत के बिल जारी किये गये थे जिनकी कुल राशि रू. 4783/— (4583+200 RCDC) थी। उक्त राशि रू. 4783/— को परिवादी जमा सुरक्षानिधि की राशि से समावेशन उपरान्त स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था।
- 04. परिवादी द्वारा 3 किलोवॉट निम्नदाब अस्थाई विद्युत कनेक्शन का आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त ही विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया था एवं परिवादी के विद्युत कनेक्शन दिनांक 02.10.2021 से दिनांक 31.12.2022 तक की बिलिंग की गई थी। परिवादी अपनी शेष सुरक्षानिधि राशि को रिफण्ड हेतु आवेदन कर सकते है या उसी परिसर पर पुनः कनेक्शन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

विपक्ष द्वारा जवाबदावे के साथ पेमेंट रिसिप्ट, आवेदन पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

फोरम का अवलोकन एवं अभिमत :--

प्रकरण में पाया गया कि परिवादी का स्वीकृत भार 3 किलोवॉट, गैर—घरेलू श्रेणी सर्विस कनेक्शन क्रमांक एन.3812024738 है। परिवादी ने फोरम में वाद लगाते हुए बताया कि बिना कनेक्शन के बिल दिये जा रहे है। निवेदन है कि निराकरण करने की कृपा करें।

विपक्ष द्वारा बताया गया कि परिवादी को दिनांक 02.10.2021 से 31.12.2022 तक लोड़ के आधार पर सिस्टम द्वारा मिनिमम खपत के बिल जारी किये गये थे जिनकी कुल राशि रू. 4783 / – (4583+200 RCDC) थी। उक्त राशि रू. 4783 / – को परिवादी जमा सुरक्षानिधि की राशि से समावेशन उपरान्त स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था।

प्रकरण में यह भी पाया गया कि परिवादी ने फोरम को लिखित सहमति पत्र में लेख किया कि मुझ प्रार्थी की शिकायत पर विपक्ष द्वारा उचित निराकरण कर दिया गया है। अतः बिल सही होने पर उक्त आवेदन को निरस्त करने की कृपा करें।

अतः उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर फोरम का अभिमत है कि विपक्ष द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही से परिवादी संतुष्ट है। अतः प्रकरण को यथास्थिति में समाप्त किया जाना चाहिए।

फोरम का निर्णय :-

फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारियों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है :—

01/ परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है।

			प्रकरण क्रमांक w0521622
02 / संतुष्ट है। अत	अभिमत में उल्ले तः प्रकरण को यथा	खानुसार विपक्ष द्वारा प्रकरण में की स्थिति में समाप्त किया जाता है।	गई कार्यवाही से परिवादी
	उपरोक्तानुसार प्र	करण निराकृत किया जाकर, आदेश	पारित है।
•	स.मण्डलोई), सदस्य	(श्रीमती कमल के.कट्ठर), सदस्य	(व्ही.के.गोयल), अध्यक्ष